मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 16/48/80-6 जी0एस0 । दिनांक 28-4-81 की प्रति ।

विषय :—सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा सम्बन्धी मामलों में हरियाणा लोक सेवा अयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को सीधे सन्दर्भ करने के बारे में ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान दिलाऊं और कहूं कि हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3261-1 जी0 एस0-1-73/14142, दिनांक 5-6-1973 द्वारा औरों के साथ-साथ यह हिदायतें जारी की गई थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने सेवा सम्बन्धी केसों के बारे में हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्य को न ही तो किसी मंत्री/विधान सभा सदस्य आदि से सिफारिश करवायेगा और न ही वह स्वयं सदस्य को मिलेगा तथा यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी आयोग/मण्डल के सदस्य को मिलने की चेष्टा करेगा तो सम्बन्धित अध्यक्ष अथवा सदस्य उसे मिलने से इन्कार कर देगा और उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को भेजेगा जोकि सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगा ।

2. सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें कि कुछ सरकारी अधिकारीयों/कर्मचारियों ने अपने सेवा सम्बन्धी मामलों में आयोग के अध्यक्ष/सदस्य को किसी मंत्री/विधान सभा सदस्य आदि से सिफारिश तो नहीं करवाई और न ही उन को मिलने की चेष्टा की किन्तु उन्होंने आयोग को अपने सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में सीधे ही पत्र लिख दिये जिन पर कि आयोग की ओर से कोई कार्यवाही वांछित नहीं थी । यद्यपि उपरोक्त हिदायतों में किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में आयोग को सीधे सन्दर्भ भेजने की कोई मनाही नहीं है तथापि सरकार ने ऐसे सीधे सन्दर्भों को उचित नहीं पाया है क्योंकि ऐसे सन्दर्भों को निपटाने में आयोग के कार्यालय का समय व्यर्थ में नष्ट हुआ है।

3. मामले में विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में न केवल आयोग/मण्डल के अध्यक्ष अथवा सदस्य को किसी मंत्री/विधान सभा सदस्य से सिफारिश करवायेगा तथा उन्हें मिलने की चेष्टा करेगा बल्कि वह सीधे ही आयोग/मण्डल को सन्दर्भ भी नहीं करेगा और यदि वह ऐसा करेगा तो अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा जोकि आयोग/मण्डल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी ।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि ये हिदायतें उन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी जो आयोग/मण्डल द्वारा विज्ञापित पदों के विरुद्ध उचित माध्यम द्वारा अपलाई करेंगे और केवल अपलाई किये गये पदों के साक्षात्कार, परीक्षा केन्द्र, रोल न0 तथा फीस आदि के बारे में ही जानकारी के लिये आयोग/मण्डल को सीधा सन्दर्भ करेंगे ।

5. आपसे अनुरोध किया जाता है कि इन हिदायतों का भविष्य में कठोरता से पालन किया जाये व इन हिदायतों को अपने अधीन कार्य कर रहे सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाये ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाये ।

भवदीय,
संयुक्त सचिव राजनैतिक एवं सेवायें,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा सभी विभागाध्यक्ष